न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 161 / 2025 बउनवानी बैजनाथ शर्मा **बनाम** उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
पुत्र श्री हरीचरण शर्मा निवासी चूलीगेट वार्ड नम्बर–18 गंगापुर सिटी
GCMS No-2025/342

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
26.11.2025	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 14.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **शहर की पुरानी आबादी मे मे अतिक्रमण हटाने को लेकर 5 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना**" उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः / आरटीआई / 2025 / 115 दिनांक 14.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 14.7.2025 मे चाही गयी सूचना काउ संबंध आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी से होने के कारण अपीलान्ट को आवेदन पत्र तत्सयम उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक 45 दिनांक 16.7.2025 से आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है एवं जरिये पत्रांक 113 दिनांक 14.11.2025 से उक्त अपील मे जवाब पेश करने बाबत भी आयुक्त परिषद गंगापुर सिटी को लिखा जा चुका है किन्तु नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से कोई जवाब प्राप्त नही हुआ है ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 14.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी से होने के कारण अपीलान्ट को उक्त सूचना उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय से उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है एवं आयुक्त नगर परिषद के विरूद्ध प्रथम अपील की सुनवायी का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर